1/2

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, भागा (धनबाद)
(बी0 आई0 टी0 सिन्दरी परिसर, पो0: मोतीनगर, धनबाद–828120)

: अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यानुमति देने हेतु साक्षात्कार की सूचना :

राजकीय पोलिटेकनिक, भागा (धनबाद) में पठ्न–पाठ्न को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित विषयों/शाखाओं में अंशकालीन व्याख्याताओं के रूप में शैक्षणिक सत्र 2014–15 के लिए कार्यानुमति देने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से दिनांकः 30.06.2014 तक विस्तृत बायोडाटा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है। साक्षात्कार की तिथि की सूचना अभयर्थियों के मोबाईल/ईमल पर दिया जायेगा । साक्षात्कार के दिन सभी अभ्यर्थी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होगें। विभिन्न शाखाओं/विषयों के लिए निर्धारित योग्यता निम्न प्रकार से है :–

क0सं0	शाखा/विषय का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1.	खनन अभियंत्रण	खनन अभियंत्रण शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या समकक्ष डिग्री ।
2.	यांत्रिक अभियंत्रण	यांत्रिक अभियंत्रण शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या समकक्ष डिग्री ।
3.	असैनिक अभियंत्रण	असैनिक अभियंत्रण शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक या समकक्ष डिग्री ।
4.	कम्प्यूटर अभियंत्रण	कम्प्यूटर अभियंत्रण शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक समकक्ष डिग्री ।
5.	विधुत अभियंत्रण	विधुत अभि0 में प्रथम श्रेणी से स्नातक या समकक्ष डिग्री ।
6.	इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	इलेक्ट्रोनिक्स अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी से स्नातक या समकक्ष डिग्री ।
7.	भौतिक विज्ञान	भौतिक विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ।
8.	रसायण विज्ञान	रसायण विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ।
9.	गणित	गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ।
10.	अंग्रेजी	अंग्रेजी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ।

कार्य व शर्ते :

1. यह कार्यानुमति अंशकालीन आधारित होगी । चयनित अभ्यर्थियों को प्रति व्याख्यान रू0 250/– (दौ सौ पचास रूपये) अधिकतम रू0 12500/– (बारह हजार पॉच सौ रूपये) मात्र प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा ।
2. यह कार्यानुमति किसी भी रिक्त पद के विरूद्व नहीं होगी । अतएव् इस आधार पर नियुक्ति के हकदार नहीं होगें ।
3. यह कार्यानुमति पूर्ण रूपेण अस्थायी होगी । बिना किसी सूचना के किसी समय बिना कारण बताए कार्यानुमति समाप्त की जा सकती है ।
4. संबंधित विषय/शाखा में उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/पदस्थापन/स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य तरीके से भरे जाने की स्थिति में या लगातार दो सप्ताह कार्य दिवसों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

Contd.On Page- 2............